



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082022-238465  
CG-DL-E-30082022-238465

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593]  
No. 593]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2022/भाद्र 8, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2022/BHADRA 8, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2022

**सा.का.नि. 669(अ).**—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उप धारा (2) के खंड (च), (छ), (ट), (ठक) और (ठकक) के साथ पठित धारा 14 के खंड (छ) और (ण), और धारा 14 क की उप-धारा (1) और धारा 14 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ब्यूरो के परामर्श से, ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत, मानदण्ड और मानक, प्ररूप, समय जिसके भीतर योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने या खरीदने की प्रक्रिया तथा खपत की गई ऊर्जा के तेल समकक्ष का प्रति मीट्रिक टन मूल्य) नियम 2012 का आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत के मानदंड और मानक, प्ररूप, समय जिसके भीतर योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने या खरीदने की प्रक्रिया और ऊर्जा खपत के समकक्ष प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य) संशोधन नियम 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2. ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत के मानदंड और मानक, प्ररूप, समय जिसके भीतर योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने या खरीदने की प्रक्रिया और प्रति मीट्रिक टन ऊर्जा खपत के बराबर तेल का प्रति मीट्रिक टन मूल्य) नियम, 2012 जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है, की धारा 2 के खंड (छक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-**

"(छख)" "फ्लोर प्राइस" से न्यूनतम मूल्य जिस पर पावर एक्सचेंजों में ईसटर्स का व्यापार किया जाएगा, अभिप्रेत है।

3. मूल नियम के नियम 12 में,-

(i) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) अभिहित उपभोक्ता जिन्हें वर्तमान चक्र के दौरान ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उनका उपयोग बैंकिंग के प्रयोजन से कर सकते हैं और जारी किए गए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेंगे जब तक ये ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र बेचे नहीं जाते।";

(ii) उपनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) अभिहित उपभोक्ता अगले चक्र (चक्रों) के अनुपालन के प्रयोजन के लिए उप-नियम (5) में निर्दिष्ट बैंक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, का उपयोग कर सकते हैं या उन्हें किसी अन्य अभिहित उपभोक्ता को अनुपालनार्थ बेच सकते हैं।

(iii) उप-नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात्: -

"(9) ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए न्यूनतम मूल्य प्रत्येक निष्पादन उपलब्धि और व्यापार चक्र के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऊर्जा के एक मीट्रिक टन तेल के मूल्य के 10% के बराबर की दर से तय किया जाएगा।

4. मूल नियम के नियम 13 के उपनियम (1) में "प्ररूप क जमा करने की अंतिम तारीख से आठ माह" के स्थान पर "प्ररूप क जमा करने की अंतिम तारीख से चौबीस माह" शब्दों और अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा।

[फा. सं. 11-10/3/2022.-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या आ.का.नि. 269 (अ.), तारीख 30 मार्च, 2012 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और आ.का.नि. 779 (अ.) तारीख 14 दिसम्बर, 2020 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 30 August, 2022

**G.S.R. 669(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (f), (g), (k), (la) and (laa) of sub-section (2) of section 56, read with clauses (g) and (o) of section 14, and sub-section (1) of section 14A and section 14B of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with Bureau, hereby makes the following rules, further to amend the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue or purchase of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Rules, 2012, namely:-

1. **Short title and commencement:** (1) These Rules may be called the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue or purchase of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Amendment Rules, 2022.]

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue or purchase of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Rules, 2012. (herein after refers to as the Principal Rules), in rule 2, after the clause (ga), following clause shall be inserted, namely:-

“(gb)” “floor price” means the minimum price at which the Energy Savings Certificate shall be traded in power exchanges;”

3. In the principal rules, in rule 12,-

(i) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) The designated consumer who has been issued energy saving certificates during the current cycle may use them for the purpose of banking and the energy savings certificates issued shall remain valid till these energy saving certificates are sold.”;

(ii) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(6) The designated consumers may use themselves the banked energy saving certificates, if any, referred to in sub-rule (5) for the purpose of compliance of the next cycle(s) or may sell them to any other designated consumer for the compliance.” ;

(iii) after sub-rule(8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(9) The floor price for the Trading of Energy Saving Certificates shall be fixed at ten percent of the price of one metric tonne of oil equivalent of energy consumed as may be notified by the Central Government, by notification in the Official Gazette for every Perform, Achieve and Trade Cycle.

4. In the principal rules, in rule 13, in sub-rule (1), for the words and letters “eight months from the last date of submission of Form A”, the words and letter “twenty-four months from the last date of submission of Form A” shall be substituted;

[F. No. 11-10/3/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 269 (E), dated the 30th March, 2012 and was last amended *vide* number G.S.R. 779 (E), dated 14<sup>th</sup> December, 2020.